DoIT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि विभाग में स्थापित बायोमैट्रिक्स मशीन पर आकस्मिक अवकाश आवेदन हेतु पूर्व में ही आकस्मिक अवकाश प्रबंधन मोड्यूल सॉफ्टवेयर (ऑनलाईन) का प्रजेन्टेशन दिया जा चुका है।

अतः समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा **दिनांक 06.02.2012** से आकस्मिक अवकाश चाहने हेतु बायोमैट्रिक्स मशीन पर अथवा ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आवेदन किया जाना निश्चित किया जाता है। आकस्मिक अवकाश आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाईट ***www.doitc.rajasthan.gov.in*** पर उपलब्ध हैं। आकस्मिक अवकाश आवेदन हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जानी है :-

1. अधिकारी/कर्मचारी बायोमैट्रिक्स मशीन पर स्वयं उपस्थित होकर आकस्मिक अवकाश आवेदन कर सकते है अथवा अपने एम्पलाई-आईडी एवं सुरक्षित पासवर्ड द्वारा विभाग की वेबसाईट ***www.doitc.rajasthan.gov.in*** पर ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन कर सकते हैं।
2. आवेदन किया गया आकस्मिक अवकाश (applied casual leave) स्वतः ही कंट्रोलिंग आफिसर के पास अनुमोदन (for approval or recommendations) हेतु तत्काल ऑनलाईन ही पहुंच जावेगा।
3. अनुमोदित आकस्मिक अवकाश (approved casual leave) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने ऑनलाईन अवकाश खाते (leave account of concern through Internet) में देखा जा सकता है।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अपने अनुमोदित आकस्मिक अवकाश (approved casual leave) को उपभोग करने से पूर्व, किन्हीं परिस्थितियों में, यदि निरस्त (cancel) करवाना चाहे तो उक्त अनुमोदित आवेदन को अपने ऑनलाईन अवकाश खाते (Using online leave account through Internet) से निरस्त करवा सकता हैं।
5. अधिकारी/कर्मचारी अपने शेष बचे आकस्मिक अवकाश (balance casual leave) का विवरण भी अपने ऑनलाईन अवकाश खाते (Using online leave account through Internet) में देख सकते हैं।

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर
एवं कार्यालयाध्यक्ष

समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण,
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
जयपुर

क्रमांक प.2(795)सूप्रौ/संस्था/10/ 6647
जयपुर, दिनांक : 06/02/12

प्रतिलिपि -
1. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर
एवं कार्यालयाध्यक्ष

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय समय (प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे) के दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से राजकीय/निजी कार्य के लिए बाहर से आने वाले व्यक्ति/आगंतुक हेतु मिलने का समय **दोपहर 3.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक** का निश्चित किया जाता है। इस समयावधि से पूर्व अथवा पश्चात् बाहर से आने वाले व्यक्ति/आगंतुक से किसी भी संबंध में नहीं मिला जावे। इससे राजकीय कार्य के सफल क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है। यदि फिर भी आवश्यक कार्य से उपरोक्त वर्णित समयावधि के अतिरिक्त कार्यालय समय में आगंतुक को किसी अधिकारी/कर्मचारी से मिलना आवश्यक हो तो उक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आगंतुक के संबंध में रिसेप्शन काउण्टर पर दी गई पूर्व सूचना के आधार पर ही आगंतुक को मिलने की अनुमति दी जा सकेगी।

साथ ही राजकीय बैठकों में विभिन्न विभागों से आने वाले अधिकारियों/प्रतिनिधियों के आने की पूर्व सूचना **रिसेप्शन काउण्टर (आईपी–9999)** पर सुरक्षा अधिकारी को दिया जाना आवश्यक है ताकि उक्त अधिकारी/प्रतिनिधि को कार्यालय परिसर एवं मिटिंग/बैठक कक्ष तक पहुंचने में किसी प्रकार के व्यवधान का सामना ना करना पड़े।

एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर
एवं कार्यालयाध्यक्ष

समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण,
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
जयपुर

अशा.टीप क्रमांकः प.2(795)सूप्रौ/संस्था/10/ 646
जयपुर, दिनांक : 06.02.12

प्रतिलिपि –

1. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर

एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर
एवं कार्यालयाध्यक्ष

सूचना प्रौद्योगिकी भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन–0141–2224855, फैक्स–0141–2222011
वेबसाइट – www.doitc.rajasthan.gov.in